दैनिक भास्कर

पटना, सोमवार, 03 फरवरी, 2020 | 3

पाटलिपुत्रा बिल्डर्स व तीन निदेशकों के बैंक खाते फ्रीज, फ्लैट की बिक्री पर भी रोक

पटना | रेरा ने पाटलिपुत्रा बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी और उसके तीन निदेशकों निरंजन कुमार, अनिल कुमार और लालपरी चौधरी के सभी बैंक खाते फ्रिज करने का आदेश दिया है। बार-बार नोटिस और 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाने के बावजूद बिल्डर द्वारा रेरा कोर्ट मे उपस्थित नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। रेरा ने आईजी रजिस्ट्रेशन से पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ में कंपनी के किसी भी प्लॉट और फ्लैट के निबंधन पर फौरन रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। जुलाई 2019 से 15 जनवरी 2020 तक बिल्डर को बार-बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन एक भी सुनवाई में बिल्डर या उसके प्रतिनिधि ने न तो कोई जवाब दिया और न हाजिर हुए। ऐसे में फ्लैट के खरीददार और बिल्डर्स के बीच का विवाद अनसुलझा ही रह गया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

PA